न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

अपील संख्या 47 / 2018

1. प्रहलाद सिहं पुत्र मेघसिहं जाति राजपूत निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. रघुवीर सिंह पुत्र मेघसिहं जाति राजपूत निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्टस

बनाम

1. मनीराम पुत्र देबूराम जाति जाट निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. (मृतक) रामधन सैनी पुत्र गोविन्दराम सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
   2 / 1. सांवरमल पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
   2 / 2. महावीर पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
   2 / 3. ग्यारसीलाल पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
   2 / 4. दिनेश पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
   2 / 5. घासी पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3. किशोर सिहं पुत्र कालू सिहं जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4. मातुसिहं पुत्र मेघसिहं जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्टस

——

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ मुकदमा उनवानी मनीराम आदि बनाम प्रहलाद आदि प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर 04 / 2016 निर्णय दिनांक 23.05.2017

उपस्थित :–

1. श्री उम्मेद राज एडवोकेट :– अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री विजयपाल एडवोकेट :– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 / 1, 2 / 2 व 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी :– राजकीय अभिभाषक :– रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.07.2019

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ़ के निर्णय दिनांक 23.05.2017 मु0न0 04 / 2016 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट् के अनुसार निम्नानुसार है :- विचारण अदालत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्व. रामधन ने इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की कि ग्राम भरवाड़ी से धोलाखेड़ा रास्ता जो डोटेड लाईन रास्ता है जो काफी पुराना रास्ता है जो कि तीन गांवो को जोड़ता है जो ग्राम भरवाडी से बनवारी सैनी के कुएं के पास के होता हुआ धोलाखेड़ा जाता है। अभी कुछ आदमियों ने इसको बंद कर रखा है। उक्त शिकायत पर तहसीलदार नवलगढ़ ने पटवारी हल्का को जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया। पटवारी हल्का ने जांच रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि भूमि खसरा नम्बर 124, 126, 127, 244, 243 में से होते हुये रास्ता रिकार्ड में दर्ज है। मौके पर उक्त रास्ता खसरा नम्बर 124, 127 व 126 के मध्य तक खुला है। उक्त रास्ता ग्राम भरवाडी से धोलाखेड़ा ग्रामों को जोड़ता है जो विगत दो वर्षो से बंद पड़ा है जिसका खसरा नम्बर 126, 244 के खातेदारान द्वारा बंद पड़ा है जिसका खसरा नम्बर 126, 244 के खातेदारान द्वारा बंद कर दिया गया है। इस प्रकार से पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विचारण अदालत ने प्रकरण 10.10.2016 को दर्ज कर खसरा नम्बर 126, 244 के खातेदारान को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तलबी हेतु नोटिस जारी किये और प्रकरण में तारीख पेशी 27.10.2016 नियत कर दी। दिनांक 27.10.2016 की तामील के बाजवूद प्रार्थी संख्या 1, 2 अनुपस्थित तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की अदम तामील प्राप्त हुई। जिस पर पुनः अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश हुआ। इस प्रकार से दिनांक 15.11.2016 की नियत तारीख पेशी पर पुनः नोटिस जारी होने हेतू 30.11.2016 की तारीख पेश नियत की गयी। दिनांक 30.11.2016 को अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण अनुपस्थित एवं अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बइंतजार पत्रावली आयन्दा दिनांक 19.12.2016 को पेश हो की तारीख पेशी नियत कर दी गयी। इसके पश्चात दिनांक 15.03.2017 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित हुआ और इसके पश्चात दिनांक 23.05.2017 को विचारण अदालत ने अपीलान्टस के विरूद्ध विधिनुकूल प्रकिया अपनाये बिना ही अपना निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 मातुसिहं को नोटिस तामील करवाये बिना ही निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। विचारण अदालत के समक्ष दिनांक 25.11.2016 के जारी किये हुये तामील के नोटिसों के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये निर्णय किया गया है जबकि दिनांक 25.11.2016 को जारी किये हुये नोटिसों की तामील अपीलान्टस एवं इसके भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को नहीं हुई। न्यायालय ने दिनांक 25.11.2016 के नोटिसों के आधार पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का जो आदेश पारित किया है वह आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है। उक्त नोटिसों की प्रति के पृष्ठकों पर तामील कुनिंदा की रिपोर्ट है कि श्रीमान्‌जी रघुवीर घर पर उनकी पत्नी मिली। नोटिस प्राप्ति लेने से इंकार किया। नोटिस प्रति खुले मकान पर चस्पा कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश है। इसी प्रकार की रिपोर्ट मातुसिंह व प्रहलाद सिहं के नोटिसों पर अंकित है। उक्त रिपोर्ट तामील कुनिंदा के द्वारा गलत रूप से तैयार पेश की गयी है और विचारण न्यायालय ने उक्त तामील रिपोर्ट को अनदेखी कर दिनांक 15.03.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाने का आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने न तो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन सम्यक रूप से की और न ही नोटिस को ध्यान से पढा। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति के बाबत भी कोई रिपोर्ट नहीं ली। अपीलान्ट संख्या 1 व इसके भाई मातु सिंह व रघुवीर सिहं के मध्य तो दिनांक 24.06.2016 को ही नामान्तरकरण संख्या 697 के माध्यम से विभाजन हो चुका और उक्त विभाजन के बाद महज अपीलान्ट संख्या 1 का ही खसरा नम्बर 126 की खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार से विचारण अदालत ने दिनांक 23.05.2017 को जो आदेश पारित किया है वह आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलान्टस की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 23.05.2017 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 23.05.2017 पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सूनवाई का अवसर प्रदान नही ही किया। अदालत मातहत द्वारा तामील कुनिन्दा की झुठी रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23. 05.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1, 2/2 व 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों पर आधारित है। ग्राम भरवाड़ी स्थित भूमि खसरा न्बर 124, 126, 127, 244, 243 से होते हुये रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम भरवाड़ी से धोलाखेड़ा ग्रामों को जोड़ता है जो विगत दो वर्षो से बंद पड़ा है, जिसको खसरा नम्बर 126 व 244 के खातेदारान द्वारा बंद कर दिया है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 में किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर, प्रचलित रास्ते से अवरोध हटाये जाने के आदेश दिये है जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली, दस्तावेजों व तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 का अवलोकन एवं मनन किया गया। अवलोकन से साफ जाहिर है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्टस के विरूद्ध जो एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है वह विधिसम्मत् नहीं है। किसी भी प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित करना चाहिए। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश 23.05.2017 नियम विरूद्ध है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 23.05.2017 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत मय आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
ज़िला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू